# कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छ0ग0)

## //आपत्ति के निराकरण सूचना//

दिनांक 14/06/2023 को अभ्यर्थी ईश्वर कुमार साहू, श्रद्धा शुक्ला, हितेश पटेल, शुभम निर्मलकर, इलेश कुमार देवांगन, संतोष, शुभम राजपूत, उषा भारती, शिखा तिवारी, लोकेश कुमार, स्मृति ताम्रकार, कम्मू देवी, प्रीति अवसरिया, लव कुमार साहू, चंदेश कुमार गोस्वामी, तुषार सोनी, राहुल सिंह, स्वाति, अनिता देवांगन, सोनाली निर्मलकर, तुषार सोनी, भोलाराम साहू, राहुल सिंह, टुमेश्वरी वर्मा, अनिता देवांगन, आकाश सेन, हितेश, जम्मन साहू, मीना अग्रहारी, सुशीला देवांगन, प्रमोद मानिकपुरी, तेजप्रकाश देशमुख, शुभम साहू, सागर पटेल, गौरव मिश्रा, दीपक तथा दिनांक 15/06/2023 ममता कंवर, आशीष कुमार तथा दिनांक 24/06/2023 को मंजू चौरसिया के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर यह आपत्ति की गई है कि **"कोविड–19 काल में पास हुए विद्यार्थी ने घर में बैठकर परीक्षा दिया है जिससे अधिकांश विद्यार्थी 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक अंक प्राप्त किये हैं जबकि 2020 के पूर्व विद्यार्थियों ने परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर परीक्षा दिया है, जिसके कारण उनके, अभी के विद्यार्थियों की तुलना में उन्होंने कम अंक प्राप्त किया है। ऐसी स्थिति में यदि दसवीं, बारहवीं, स्नातक प्राप्तांक के आधार पर भर्ती ली जाती है तो यह अभ्यर्थियों के साथ भेद–भाव होगा।"**

उक्त आपत्ति का निराकरण इस प्रकार है कि कोविड काल वर्ष 2020–2021 के दौरान दसवीं, बारहवीं, एवं स्नातक में से कोई एक ही परीक्षा उत्तीर्ण की गई होगी जबकि छंटनी हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उक्त तीनों कक्षाओं दसवीं, बारहवीं, एवं स्नातक में प्राप्त अंकों का औसत देखा जायेगा। अतः अभ्यर्थियों की उक्त आपत्ति निराधार पाये जाने से निरस्त की गई है।

दिनांक 15/06/2023 को अभ्यर्थी राजेश कुमार द्वारा ईमेल के माध्यम से आवेदन पेश कर यह आपत्ति किया गया है कि **"पूर्व में जारी विज्ञापन की शर्त के अनुसार अंतिम चयन परिणाम की अधिकतम वैधता 1 वर्ष का उल्लेख**

**करते हुए पूर्व में जारी अंतिम चयन परिणाम में से ही प्रतीक्षा सूची में उल्लेखित अभ्यर्थी को लिये जाने का उल्लेख किया है।''**

उक्त आपत्ति का निराकरण इस प्रकार है कि पूर्व में जारी विज्ञापन अनुसार रिक्त सभी पद भरा जा चुका है तथा वर्तमान में इस स्थापना हेतु रिक्त पदों में सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 1850/भर्ती समिति/2023 दुर्ग, दिनांक 09.06.2023 के माध्यम से रिक्त पदों को भरा जाना है इसलिए पूर्व में जारी अंतिम चयन परिणाम के अनुपूरक सूची से अभ्यर्थियों को नहीं लिया जा सकता है। अतः अभ्यर्थी राजेश कुमार की उक्त आपत्ति निराधार पाये जाने से **निरस्त** की गई है।

01/07/2023

अध्यक्ष
भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग
जिला–दुर्ग (छ0ग0)